

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश


राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची 1/III के ग्रुप डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-1A) पे-बेण्ड 15600-39100 पी. बी-3 ग्रेड पे-6600 में वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिक श्री श्रवण कुमार लोहार, व्याख्याता (अंग्रेजी) की पदोन्नति वर्ष 2017-18 में चयन किया गया। चूंकि श्री लोहार के विरुद्ध विभागान्तर्गत राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16/17 एवं 17ई में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने पर पदोन्नति लिफाफा बन्द किया गया।

विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1A/प्रधानाचार्य/डीपीसी/2017-18 दिनांक 23.11.17 द्वारा कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त/(DROP) किये जाने के कारण, श्री लोहार का पदोन्नति बन्द लिफाफा खोले जाने तथा राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के पत्र क्रमांक रामाशिप/जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/प्रोफा.पदो./8030 दिनांक 08.11.2017 के अनुक्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, जैतारण पाली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत विभाग के निम्नांकित कार्मिक को व्याख्याता (अंग्रेजी) से प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष पद पर यथावत पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक व वर्ष	नाम कार्मिक मय पद एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	डीपीसी चयन वर्ष	पदस्थापन स्थान
01	1084/2006-07	श्री श्रवण कुमार लोहार व्याख्याता,अंग्रेजी स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, जैतारण पाली	11.12.70	2017-18	यथावत

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पत्ति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल [absecsecedu@gmail.com](mailto:absecsecedu@gmail.com) पर तुरंत सूचित करेंगे।

उक्त प्रधानाचार्य नियत तिथि दिनांक:- तक पदोन्नति पर पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल सूचित करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ इसका इन्द्राज शाला दर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।




(नथमल डिलेल)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017 दिनांक:- 12 मार्च 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची 1/11A के ग्रुप डी-11A में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-11A) पे-बेण्ड 15600-39100 पी. बी-3 ग्रेड पे-6600 में वर्ष 2005-06 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिक श्री रामकिशोर खाती वर्तमान प्रधानाचार्य राआउमावि गौडा-सैडवा जिला बाडमेर की पदोन्नति वर्ष 2005-06 में चयन किया गया। चूंकि श्री खाती के विरुद्ध विभागान्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16/17 एवं 17ई में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने पर पदोन्नति को सिल्ड-कवर/ लिफाफा बन्द किया गया।

विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-11A/प्रधानाचार्य/डीपीसी/2017-18 दिनांक 12.01.2018 द्वारा कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त/(DROP) किये जाने के पश्चात श्री खाती की पदोन्नति हेतु बन्द लिफाफा खोले जाने के आधार पर इनका प्रधानाचार्य-उमावि के रूप में प्रधानाचार्य, राआउमावि0 गौडा-सैडवा जिला बाडमेर के पद पर यथावत पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित कार्मिक उक्त आदेशों की पालना में शाला दर्पण के माध्यम से पुनः कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से सम्बन्धित प्रविष्टियों का इन्द्रांज भी सुनिश्चित करावें।



(नथमल डिल्ले)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी /2018

दिनांक:- 12 मार्च 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर